राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय

स्काउट गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141-2973131, ई-मेल:-scoutguidestc@gmail.com

क्रमांकः प. ( )रा.मु./आवासीय विद्यालय/2019-20/ 837 दिनांकः - 11/03/2020

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर पर संचालित राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय, जगतपुरा, जयपुर हेतु एक वर्ष के लिए (जॉब बेसिस पर) पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/सेवा प्रदाता एजेन्सी से मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (26दिवस)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	GST दर	कुल राशि
1.	कुक	उच्च कुशल -1	7358.00		13%	3.25%			
2.	कुक हैल्पर	कुशल - 2	6058.00		13%	3.25%			
3.	सहा.कर्मचारी	कुशल - 1	6058.00		13%	3.25%			
4.	साफ-सफाई	अकुशल - 2	5538.00		13%	3.25%			
5.	बागवानी	कुशल - 2	6058.00		13%	3.25%			
6.	सुरक्षा	कुशल - 3	6058.00		13%	3.25%			

उक्त कार्यो की अनुमानित लागत 7.64 लाख रूपये है निविदा प्रपत्र दिनांक 13/03/2020 से कार्यालय समय में रू. 500/- प्रति निविदा प्रपत्र की दर पर दिनांक 19/03/2020 को दोपहर 01.00 बजे तक विक्रय की जायेंगी। पूर्ण भरी हुई निविदा आवश्यक दस्तावेज व अमानत राशि 15280/- डी.डी. जो **राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय** के नाम से देय हो के साथ राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर पर दिनांक 19/03/2020 को दोपहर 02.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 19/03/2020 को दोपहर 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। किसी भी निविदा या उसके भाग को निरस्त करने का या अस्वीकार करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का प्रपत्र संलग्न है।

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त

838 - 841

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 11/03/2020

1. श्रीमान राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड, राज्य मुख्यालय/राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा/ मण्डल मुख्यालय, जयपुर/एसपीपीपी पोर्टल।
3. लेखाशाखा, राज्य मुख्यालय, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर।
4. संबन्धित फर्म ....।
5. कार्यालय प्रति।

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त

Scanned by CamScanner

राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय

स्काउट गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141-2973131, ई-मेल:-scoutguidestc@gmail.com

क्रमांक: प. ( )रा.मु./आवासीय विद्यालय/2019-20/837 दिनांक: - 11/03/2020

कुक, कुक हैल्पर, सहायक कर्मचारी, बागवानी, सुरक्षा एवं सफाई हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क - 500.00 रू.
निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ तिथि - 13/03/2020
निविदा प्रपत्र विक्रय अन्तिम तिथ - 19/03/2020 दोपहर 01.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि - 19/03/2020 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि - 19/03/2020 दोपहर 04.00 बजे तक
धरोहर राशि - 15260.00 अक्षरे पन्द्रह हजार दो सौ अस्सी रू. मात्र (डी.डी.) **(राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय)**

1) निविदादाता का नाम :- ....
2) कार्यालय का नाम, पता मय फोन नं. :- ....
....
3) फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर :- ....
4) निवास स्थान का पता मय फोन नं. :- ....
....
5) निविदा हेतु धरोहर राशि रू .... डी. डी. नम्बर .... दिनांक .... संलग्न है।
6) राजकीय विभाग में अनुभव वर्ष .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7) आयकर क्लीयरेन्स, श्रम विभाग, पी.एफ., ई.एस.आई. का प्रमाण पत्र संलग्न करें। (Yes/ No)
8) आयकर खाता संख्या (पैन नं.) :- .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9) GST नम्बर अंकित करें .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10) पदों का विवरण -

क्र.स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (26दिवस)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	GST दर	कुल राशि
1.	कुक	उच्च कुशल -1	7358.00						
2.	कुक हैल्पर	कुशल - 2	6058.00						
3.	सहा.कर्मचारी	कुशल - 1	6058.00						
4.	साफ-सफाई	अकुशल - 2	5538.00						
5.	बागवानी	कुशल - 2	6058.00						
6.	सुरक्षा	कुशल - 3	6058.00						

नोट :- सभी प्रकार की कर यथा सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, ई.एस.आई., पी.एफ. की दरें प्रति व्यक्ति के हिसाब से अंकित करें। पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढाई जा सकती है।

दिनांक :
स्थान :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

संलग्न - निविदा की शर्ते।

Scanned by CamScanner

राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय

स्काउट गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141–2973131, ई–मेलः–scoutguidestc@gmail.com

कुक, कुक हैल्पर, सहायक कर्मचारी, बागवानी, सुरक्षा एवं सफाई हेतु निविदा की शर्ते

1. निविदादाताओं को अनुमानित वार्षिक लागत एक वर्ष के लिए 07.64 लाख की अमानत राशि के रूप में 15280.00 अक्षरे पन्द्रह हजार दो सौ अस्सी रू. मात्र डी. डी. (राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय) के रूप में जमा कराने होंगे। बिना अमानत राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. सफल निविदादाता को कुल रू. 38200.00 एस.डी. के रूप में जमा कराने होंगे, जिसमें अमानत राशि के रूपये को समायोजित किया जा सकता है।
3. निविदादाता को निविदा बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से निविदादाता का नाम, कार्य का नाम अंकित होना चाहिए।
4. निविदादाता को राजकीय कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में कुक, सहायक कर्मचारी, बागवानी, सुरक्षा, सफाई आदि कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण पत्र संबंधित संस्थानों के विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किया हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुभव प्रमाण पत्र बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. संविदा कार्यो के लिए अनुबन्ध कार्यआदेश तिथि से 31 मार्च, 2021 तक मान्य होगा, तदोपरान्त आपसी सहमति से आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार अनुबन्ध आगामी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
6. निविदा संस्थान के द्वारा बताये गए निर्धारित स्थानों के सभी कार्यों के संबंध में होगी।
7. निविदादाता द्वारा सभी कार्यों का कोई भी भाग सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
8. यदि सभी कार्यां में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता बरती जाती है तो एक चेतावनी पत्र के बाद बिना कारण बताये एक नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा और एस.डी. को जब्त करते हुए नये अनुबन्ध के लिए होने वाले व्यय की राशि संबन्धित अनुबन्धकर्ता से वसुल की जावेगी।
9. निविदादाता द्वारा समस्त सुरक्षा प्रहरियों को निर्धारित साफ–सुथरी पौशाक, सीटी, डंडा एवं अन्य सामग्री प्रदान की जावेगी। सुरक्षा प्रहरी प्रत्येक 8 घण्टें के लिए रोटेशन (एक गार्ड 8 घण्टें कुल 24 घण्टे के लिए 3 गार्ड) प्रक्रिया पर कार्य करेगे इसके लिए जब तक आगामी प्रहरी नहीं आ जाये तब तक स्थान खाली नहीं किया जावे।
10. सहायक कर्मचारी विद्यालय समय से एक घण्टे पुर्व एवं एक घण्टे बाद तक विद्यालय मे रहेगा तथा विद्यालय से संबन्धित समस्त कार्यो का सम्पादन करेगा।
11. साफ–सफाई के लिए नियत किये गये कार्मिकों द्वारा शिविर केन्द्र की समस्त (परिसर एवं शौचालय) साफ–सफाई तथा विद्यालय प्रारम्भ होने से पुर्व एवं समाप्त होने के बाद विद्यालय की समस्त प्रकार की (परिसर एवं शौचालय) साफ–सफाई की जावेगी तथा फिनाइल का प्रतिदिन पोछा लगाया जावेगा। साथ ही प्रत्येक माह में एक बार समस्त शौचालय ब्लॉक की तेजाब से सफाई (धुलाई) की जावेगी। इसके लिए झाडू (पानी/बांस), वाईपर की व्यवस्था स्वयं कार्मिक/एजेन्सी द्वारा की जावेगी (जिसका भुगतान कार्मिक को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में ही समाहित करते हुए निविदा दरों का उल्लेख करे) तथा फिनाईल, तेजाब, पोछा, हारपिक, फिनाइल गोली विद्यालय द्वारा देय होगी।
12. बागवानी कार्य के लिए नियत किये गये कार्मिकों को समस्त विद्यालय व शिविर केन्द्र पर लॉन की कटिंग, साफ–सफाई, हैज कटिंग, खरपतवार की सफाई, गमलों की सफाई, पेड़ों के घेरे/थावले तैयार करना, समस्त पेड़–पौधों में निर्धारित समय पर पानी देना होगा तथा इससे संबन्धित समस्त प्रकार के उपकरण स्वयं कार्मिक/एजेन्सी के होगे (जिसका भुगतान कार्मिक को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में ही समाहित करते हुए निविदा दरों का उल्लेख करे)।
13. निविदादाता को सभी कार्यों के संबंध में निर्धारित समस्त श्रम नियमों की पालना करनी होगी। जिसके संबंध में संस्थान किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. संस्थान के संबंधित अधिकारी/इंचार्ज के आदेशों की पालना करनी होगी।
15. संस्थान मे किसी भी (दिवस/घण्टे) बागवानी, कुक, कुक हैल्पर, सहायक कर्मचारी, सुरक्षा, सफाई आदि पर कार्यरत व्यक्ति अनुपस्थित नहीं रहेंगे।

Scanned by CamScanner

16. संस्थान में अनुबन्धकर्ता द्वारा भेजे गये कार्मिक को साक्षर होना आवश्यक है।

17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्णतया पालना करनी होगी।

18. संस्थान में किसी भी संबंधित सामग्री के गायब होने पर संबंधित ठेकेदार को उसकी आपूर्ति या सामग्री की कीमत के बराबर राशि जमा करानी होगी।

19. सुरक्षा प्रहरियों द्वारा सुरक्षा के संबंध में किसी भी वाहन एवं व्यक्ति को जाँच करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जावेगा। बाहर जाने–आने वाली सामग्री की चैकिंग करनी होगी तथा प्रत्येक आने व जाने वाले व्यक्तियों का विवरण (आने का कारण मय पता व आने और जाने का समय तथा मोबाईल नम्बर) रजिस्टर में इन्द्राज करना होगा।

20. अनुबन्धकर्ता द्वारा संस्थान में लगाये गये कार्मिको को राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम वेतन संबंधी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत पर अनुबन्ध निरस्त कर (अमानत राशि जब्त कर) दिया जावेगा।

21. संविदा पर संस्थान द्वारा निर्दिष्ट कार्यो के लिए अनुबन्धकर्ता द्वारा तैनात व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम वेतन के साथ पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का चालान प्रथम बिल के बाद प्रत्येक बिल के साथ मय सूची प्रस्तुत करना होगा इसके अभाव में आगामी माह का भुगतान नहीं किया जावेगा।

22. कुक एवं कुक हैल्पर द्वारा भोजन बनाने के कार्य के लिए प्रातः नाश्ता 7.30 बजे, दोपहर भोजन 12.30 बजे, रात्रि भोजन 7.30 बजे तथा 09.00 दूध वितरण तक रहेगा तथा नाश्ता एवं भोजन के बाद समस्त भोजनशाला व बर्तन एवं रसोई की साफ सफाई होनी आवश्यक है तथा प्रातः साफ सफाई के साथ कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

23. अनुबन्धकर्ता द्वारा लगाये गये सुरक्षाव्यवस्था के कार्मिक की कार्यालय अधिकृत कर्मचारी द्वारा जाँच करने पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिए आवक–जावक रजिस्टर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा तथा पूर्ण होने पर कार्यालय में जमा करवाना होगा।

24. एजेन्सी द्वारा संविदा कार्यो के लिए ड्यूटी पर तैनात होने वाले व्यक्तियों का एक उपस्थिति विवरण बनाकर कार्यालय को दिया जावेगा जिससे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी एवं समय पर अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।

25. सभी संविदा कार्यो के लिए तैनात व्यक्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की एवं किसी आपतिजनक पदार्थ के उपयोग करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही कर उसे ड्यूटी से तुरन्त हटाना होगा।

26. दरें स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार निर्धारित अनुबन्ध प्रतिपादित करना होगा जो अनुबन्ध अवधि के लिए वैद्य होगा।

27. सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

28. संस्थान न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

29. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय, जगतपुरा, जयपुर को या द्वारा अधिकृत राज्य प्रशिक्षण आयुक्त, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर को होगा।

30. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

31. **प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर होना** आवश्यक है।

मुझे उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 31 तक की सभी शर्ते स्वीकार हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक –

Scanned by CamScanner